न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी .(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

विक्रम रावल पुत्र नेमाराम जी रावल, उम्र 29 वर्ष, जाति- रावल,
निवासी- रावलवास, नई धनारी, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य काराबारकर्ता)
फर्मः- शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही

प्रकरण संख्याः 13/2019

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 व 58 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थितिः

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त विक्रम रावल

-: निर्णय :- दिनांक 27 अगस्त, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.2.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विक्रम रावल पुत्र नेमाराम जी रावल, जाति- रावल, निवासी- रावलवास, नईधनारी, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही है एवं फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व दुकान की आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के 14 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 मि.ली.) में से खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 मि.ली.) जांच हेतु खरीदे तथा उसकी कीमत रुपये 500/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या

....पेज दो पर

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-901 को नियमानुसार चारो भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDETED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियों तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूनें के चारो भागों एवं लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.2.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री दौलतराम, साईलोजिस्ट, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.2.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द ल्फिाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का नमूना S-901 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को प्रस्तुत करे, लेकिन विक्रम रावल ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण से संबंधित समस्त मूल कागजात एवं

.....पेज तीन पर

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। इस प्रकरण में अभियुक्त ने Regulation No. 2.1.1(6) and 2.3.7 of Food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 में निषिध व प्रतिबंधित सामग्री एवं अमानक (Sub-standard) Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 21.8.2019 को प्रतिवादी विक्रम रावल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 15.2.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा ज़िस वेजीटेबल फेट का नमूना जांच के लिये लिया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है उसका बिल मेरे पास मौजूद नही है। भविष्य में इस प्रकार की खाद्य सामग्री नही बेचूंगा। ये मेरी पहली गलती है, मै छोटा दुकानदार हूँ। कृप्या कम से कम जुर्माना करते हुए प्रकरण को समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी विक्रम रावल द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 21.8.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान अनुरोध किया कि प्रतिवादी अभियुक्त ने Regulation No. 2.1.1(6) and 2.3.7 of Food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 में निषिध व प्रतिबंधित सामग्री एवं अमानक (Sub-standard) Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 व 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी विक्रम रावल ने अनुरोध किया कि मेरा व्यापार छोटा सा है। मैनें उक्त खाद्य पदार्थ दूसरे व्यक्ति से खरीदा था जिसका मेरे पास बिल नही है। यह मेरी पहली गलती है। मै भविष्य में बिल से ही माल खरीदूंगा व बेचूंगा। अत: कम से कम जुर्माना करके प्रकरण को समाप्त करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.2.2019 को समय 11.00 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही पर गये। उक्त फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड़वाडा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से विक्रम रावल पुत्र नेमाराम जी रावल, जाति- रावल, निवासी- रावल वास, नई धनारी, तहसील- पिण्ड़वाडा, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम

.....पेज चार पर

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

जनता के उपयोग हेतु Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त दुकान शिवम किराणा स्टोर के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के अमानक का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता विक्रम रावल को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त दुकान की आलमारी में बिक्री हेतु मौजूद Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के 14 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 ML) में से Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) के 4 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 ML) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ मात्र) विक्रेता विक्रम रावल को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल एवं उक्त गवाह तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-901, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता विक्रम रावल एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-901 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता विक्रम रावल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल, उक्त गवाह एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्डवाडा, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल से Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का नमूना जांच हेतु कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील

....पेज पांच पर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपडी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपडी से सिल्ड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.2.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा डॉ. दौलतराम, साइकोलोजिस्ट, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.2.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का नमूना संख्या S-901 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./153/Act/2019/212 दिनांक 15.3.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड्वाडा में खाद्य कारोबारकर्ता विक्रम रावल से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 15.3.2019 के अनुसार प्रतिवादी अभियुक्त ने Regulation No. 2.1.1(6) and 2.3.7 of Food safety and standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 में निषिध व प्रतिबंधित सामग्री Interesterified vegetable fat (Subodh lite Brand) का विक्रय किया है। प्रतिवादी विक्रम रावल का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 व 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 व 58 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त विक्रम रावल पुत्र नेमाराम जी रावल, जाति- रावल, निवासी- रावलवास, नई धनारी, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, फर्म शिवम किराणा स्टोर, अजयपुरा कॉलोनी, पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी विक्रम रावल पुत्र नेमाराम जी रावल, जाति- रावल, निवासी- रावलवास, नई धनारी, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)